 <p>सत्यमेव जयते</p>	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 20, शनिवार, शाके 1938—अप्रैल 9, 2016 <i>Chaitra 20, Saturday, Saka 1938-April 9, 2016</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 9, 2016

संख्या प. 2 (2) विधि/2/2016:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 6)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 18 जनवरी, 2016 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का

अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,-

- (क) उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (i), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (2) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ग) विद्यमान उप-धारा (6-क) को उप-धारा (6-कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (6-कक) के पूर्व निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6-क) उप-धारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा उक्त पदों के लिए चयनित व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जायेगी, जैसीकि विहित की जाये।"

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 90 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89

की उप-धारा (2) के खण्ड (i), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

ब्रजेश कुमार डांगरा,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 9, 2016

No. F. 2 (2) Vidhi/2/2016.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhinyam, 2016 (2016 ka Adhinyam Shankhyank 6) :-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
ACT, 2016**

(Act No. 6 of 2016)

[Received the assent of the Governor on the 8th day of April, 2016]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the

Sixty-Seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 18th January, 2016.

2. Amendment of Section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (a) in proviso of sub-section (1), for the existing expression "Specified in clause (iii)", the expression "specified in clause (i), (iii) and (iv)" shall be substituted;
- (b) in sub-section (6), for the existing expression "to the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2)", the expression "to the posts specified in clause (ii) of sub-section (2)" shall be substituted;
- (c) the existing sub-section (6-A) shall be renumbered as sub-section (6-AA) and before sub-section (6-AA), so renumbered, the following shall be substituted namely :-

(6-A) Appointment by direct recruitment to the posts specified in clauses (i) and (iv) of sub-section (2) shall be made by a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, in accordance with the rules made in this behalf by the State Government, from out of the persons selected for the posts by Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board in such manner as may be prescribed."

3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clauses (i), (iii), (iv) and (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.


4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 2 of 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

ब्रजेश कुमार डांगरा,
Principal Secretary to the Government.

5
Government Central Press Jaipur.

771
27/5/16

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 5, गुरुवार, शाके 1938-अक्टूबर 27, 2016 Kartika 5, Thursday, Sakā 1938-October 27, 2016	

भाग 4 (क)

उप-खण्ड (I)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

शुद्धि-पत्र

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 9 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 6) से संबंधित अधिसूचना क्रमांक प. 2 (2) विधि/2/2016 के हिन्दी पाठ एवं प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद में निम्नांकित अशुद्धियों को शुद्ध कर पढ़ा जावे :-

क्र. सं.	सन्दर्भ	मुद्रित अशुद्ध शब्द/अभिव्यक्ति	शुद्ध अशुद्ध शब्द/अभिव्यक्ति	प्रति
1.	पृष्ठ संख्या 1, सोलहवीं पंक्ति	विधेयक,	अधिनियम,	हिन्दी पाठ
2.	पृष्ठ संख्या 3, इक्कीसवीं पंक्ति	Shankhyank	Sankhyank	प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद

शुद्धि-पत्र

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित राज-पत्र राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 13) अधिसूचना क्रमांक प. 2 (16) विधि/2/2016 के प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद में निम्नांकित अशुद्धि को शुद्ध कर पढ़ा जावे :-

क्र. सं.	सन्दर्भ	मुद्रित अशुद्ध शब्द/अभिव्यक्ति	शुद्ध अशुद्ध शब्द/अभिव्यक्ति	प्रति
1.	पृष्ठ संख्या 71, इक्कीसवीं पंक्ति	Shankhyank	Sankhyank	प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद

शुद्धि-पत्र

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) अधिनियम, 2016 (2016